



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.एल.-अ.-02112021-230895
CG-KL-E-02112021-230895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]
No. 531]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

मसाला बोर्ड

अधिसूचना

कोचीन, 25 अक्टूबर, 2021

फा.सं. एमकेटी.रजि./0002/2017.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) विनियम 3 में :

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) धारा 12 के अधीन, प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन, विहित रूप में, नीचे दी गई फीस और यथा लागू कर के साथ बोर्ड को दिया जाएगा।

(i) विनिर्माता निर्यातक : 15,000/- रूपए

(ii) वाणिज्यिक निर्यातक : 10,000/- रूपए

(ख) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) फीस, बैंक अंतरण या संदाय के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में देय होगा और प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट फीस का आवधिक पुनरीक्षण किया जाएगा" ;

(ग) उप-विनियम (6) में "प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा" शब्दों के पश्चात "जो जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध होगा" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र के लिए प्रत्येक आवेदक अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक स्थापन या इकाई के बारे में मसाला बोर्ड को सूचित करेगा जो निर्यात के लिए मसालों के भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन आदि के किसी भी चरण को पूरा करती है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड को इन स्थापनों के बारे में हमेशा अद्यतन जानकारी मिलती रहे, जिसमें गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और किसी स्थापन या इकाई को जोड़ना या बंद करना सम्मिलित है।"

3. उक्त विनियमों के, विनियम(4) में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) फीस, बैंक अंतरण या संदेय के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय होगा और नवीनीकरण या डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का आवधिक पुनरीक्षण किया जाएगा।"

4. उक्त विनियमों के विनियम (5) में,-

(क) उप-विनियम 3 में "एर्णाकुलम या कोच्ची में संदेय, क्रास पाने वाले खाते में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में होगी और प्रत्येक पश्चातवर्ती खण्ड अवधि के लिए, प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जायेगा।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात्

"संदेय के अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में होगी और प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का पुनरीक्षण किया जाएगा।

(ख) उप-विनियम 4 में, " विनियम 3 के उप-विनियम 1 में यथा-विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "लागू" शब्द रखा जाएगा।

(ग) उप-विनियम (5) में, "नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" शब्दों के स्थान पर, "संशोधित प्रमाण पत्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उप-विनियम (11) में, "अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "सचिव", शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) उप-विनियम (15) में, "अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

(च) उप-विनियम (16) में, "अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "सचिव" शब्द रखे जाएंगे।

(छ) उप-विनियम(18), के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(19) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्यातक, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इसके पक्ष में दिये गये किसी भी आयातक-निर्यातक कोड के प्रमाणपत्र को निलम्बित करने, प्रतिसंहरण करने अथवा रद्द करने के बारे में मसाला बोर्ड को निलंबन, प्रतिसंहरण या रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से तीन कार्य दिवस के अंदर सूचित करेगा।

(20) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रदान किया गया आयातक-निर्यातक कोड का प्रमाणपत्र निलंबन, प्रतिसंहरण या रद्द किए जाने पर, आज तक यथा संशोधित मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989, के अन्तर्गत प्रदत्त मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र रद्द माना जाएगा।

(21) मसाला बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिये गये आयातक – निर्यातक कोड के प्रमाण-पत्र के निलम्बन, प्रतिसंहरण या रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप निरस्त हुए मसालों के निर्यातक के रूप में ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्दकरण पर पुनर्विचार करेगा यदि,

- (i) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक-निर्यातक कोड के प्रमाणपत्र का निलंबन, प्रतिसंहरण या रद्द करने की अनुमति वापस ले ली गई है; या टाल दी गई है, या
- (ii) उक्त निर्यातक को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नया आयातक-निर्यातक कोड प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

संख्या.5/12/2017-वागान-डी

डी.सत्यन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./394/2021-22]

पाद टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा. सं. प्रशा. / रजि. /01/89, : 05 अक्टूबर 1989 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात निम्नलिखित के अधीन संशोधित किए गए

अधिसूचना फा.सं. प्रशासन / रजि / 01/2002, दिनांक 4 सितंबर, 2002

अधिसूचना फा.सं. प्रशासन / रजि / 01/2003, दिनांक 30 जून, 2003,

अधिसूचना फा.सं. प्रशासन / रजि / 01/2004, दिनांक 21 जून, 2004 ,

अधिसूचना फा.सं. विपणन / रजि / 01/09 / फा. सं. 7/1000/2011 - ईपी (एग्री.V) / वागान * घ, दिनांक, 16 अप्रैल, 2012,

अधिसूचना एफ.सं. विपणन / रजि / 01/09 / फा. सं.7/1000/2011 - ईपी (एग्री .V) / वागान घ, दिनांक 3 अगस्त, 2012 और

अधिसूचना फा. सं. विप/ रजि/ 0002 / 2017- ईपी (एग्री V) / वागान घ, दिनांक 2 जनवरी 2018

SPICES BOARD

NOTIFICATION

Cochin, the 25th October, 2021

F. No. MKT-REGN/0002/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These Regulations may be called the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(1) An application for grant of certificate under section 12, shall be made to the Board in the prescribed form and shall be accompanied by a fee as given below, plus tax as applicable,

(i) Manufacturer Exporter : Rs.15,000/-

(ii) Merchant Exporter : Rs.10,000/-

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or other electronic mode of payment and there shall be a periodic revision of fees for grant of certificate, as specified by the Spices Board” ;

(c) in sub-regulation (6), after the words “issue a certificate”, the words “valid for three years from the date of issue”, shall be inserted;

(d) after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(8) Every applicant for certificate of registration as exporter of spices shall notify Spices Board, of each establishment or unit under its control that carries out any of the stages of warehousing, processing, value addition etc of spices for export and shall also ensure that the Board always has up-to-date information on such establishments, including any significant change in activities and any addition or closure of an establishment or unit”.

3. In the said regulations, in regulation (4), for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(2) The fee shall be payable in the form of bank transfer or other electronic modes of payment and there shall be periodic revision of fees for renewal or issue of duplicate certificate, as prescribed by the Spices Board”.

4. In the said regulations, in regulation (5),-

(a) in sub-regulation 3, for the words “or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi, and for every subsequent block period, there shall be a revision of fees for amendment of certificate, as prescribed by the Spices Board time to time.”, the following words shall be substituted, namely:-

“or other electronic modes of payment and there shall be a periodic revision of fees for amendment of certificate, as prescribed by the Spices Board”;

(b) in sub-regulation 4, for the words “accompanied by the fee as specified in sub-regulation (1) of regulation 3”, the following words shall be substituted, namely:-

“accompanied by the applicable fee”;

(c) In sub-regulation (5), for the words “a fresh registration certificate”, the words “an amended certificate” shall be substituted;

(d) In sub-regulation (11), for the words “by the Chairman”, the words “by the Secretary”, shall be substituted;

(e) In sub-regulation (15), for the words “by the Chairman”, the words “by the Secretary”, shall be substituted;

(f) In sub-regulation (16), for the words “by the Chairman”, the words “by the Secretary”, shall be substituted.

(g) after sub-regulation (18), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(19) Every registered exporter shall inform Spices Board of any suspension, revocation or cancellation of the certificate of Importer-Exporter Code, granted in its favour by the Directorate General of Foreign Trade not later than three working days from the date of such order of suspension, revocation or cancellation.

(20) When the certificate of Importer – Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade is suspended, revoked or cancelled, the Certificate of Registration as Exporter of Spices granted under the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 as amended till date, shall be deemed to have been cancelled.

(21) Spices Board may reconsider the cancellation of such certificate of registration as exporter of spices, that has been cancelled as a consequence of the suspension, revocation or cancellation of certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade, if-

(i) the suspension, revocation or cancellation of the certificate of Importer-Exporter Code granted by the Directorate General of Foreign Trade has been withdrawn; or set aside ; or

(ii) a fresh certificate of Importer-Exporter Code has been issued to the said exporter by the Directorate General of Foreign Trade”.

No.5/12/2017-Plant-D

D. SATHIYAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./394/2021-22]

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification F.No. Admn/Reg/01/89, dated the 5th of October, 1989 and subsequently amended vide —

Notification F.No. Admn/Reg/01/2002, dated the 4th of September, 2002,

Notification F.No. Admn/Reg/01/2003, dated the 30th of June, 2003,

Notification F.No. Admn/Reg/01/2004, dated the 21st of June, 2004,

Notification F.No. Mktg/Regn/01/09/F.No 7/1000/2011 – EP (Agri.V)/ Plant D, dated the 16th April, 2012,

Notification F.No. Mktg/Regn/01/09/F.No 7/1000/2011 – EP (Agri.V)/ Plant D, dated the 3rd of August, 2012 and

Notification F.No. Mkt-Reg/0002/2017- EP (Agri.V)/ Plant D, dated the 2nd January, 2018.